रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30092020-222171
CG-DL-E-30092020-222171

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 280] **नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 30, 2020/आश्विन 8, 1942**
No. 280] **NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 30, 2020/ASVINA 8, 1942**

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जांच शुरुआत अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2020

मामला सं.: एडी-एसएसआर 08/2020

विषय : चीन जन. गण., कोरिया, यूरोपीय संघ, साउथ अफ्रीका, ताइवान, थाइलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका के मूल के अथवा वहां से निर्यातित 'गैर-प्रामाणिक उपयोग के 600 एमएम से 1250 एमएम और 1250 एमएम से अधिक की चौड़ाई के स्टेनलेस स्टील के कोल्ड–रोल्ड फ्लैट उत्पादों' के आयातों के संबंध में निर्णायक समीक्षा जांच की शुरुआत।

फा. सं. 7/18/2020-डीजीटीआर.—मैसर्स जिंदल स्टेनलैस लिमिटेड, मैसर्स जिंदल स्टेनलैस (हिसार) लिमिटेड और मैसर्स जिंदल स्टेनलैस स्टीलवे लिमिटेड (जिन्हें यहां आगे "आवेदक" भी कहा गया है) ने, समय-समय पर यथा संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे इसके बाद "अधिनियम" भी कहा गया है) और समय-समय पर यथा-संशोधित तत्संबंधी सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे इसके बाद "नियमावली" भी कहा गया है) के अनुसार घरेलू उद्योग की ओर से निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें इसके बाद "प्राधिकारी" भी कहा गया है) के समक्ष चीन जन. गण., कोरिया, यूरोपीय संघ, साउथ अफ्रीका, ताइवान, थाइलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका (जिन्हें इसके बाद "संबद्ध देश" भी कहा गया है) से निर्यातित

'गैर-प्रामाणिक उपयोग के 600 एमएम से 1250 एमएम और 1250 एमएम से अधिक की चौड़ाई के स्टेनलेस स्टील के कोल्ड – रोल्ड फ्लैट उत्पादों' (जिन्हें यहां आगे "संबद्ध वस्तुएं" अथवा "विचाराधीन उत्पाद" अथवा "पी यू सी" भी कहा गया है) के आयातों पर लगाए गए पाटन रोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा के लिए एक आवेदन दायर किया है ।

2. आवेदकों ने यह दलील दी है कि संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के पाटन के जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना और उसके परिणास्वरुप घरेलू उद्योग को क्षति होने की संभावना का आरोप लगाया है और उन्होंने संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर पाटन रोधी शुल्क की समीक्षा करने और उसे जारी रखने का अनुरोध किया है।

<u>पृष्ठभूमि</u>

3. दिनांक 25/11/2008 की अधिसूचना के तहत 600 एमएम से 1250 एमएम तक की चौड़ाई के स्टेनलेस स्टील के कोल्ड–रोल्ड फ्लैट उत्पाद के आयातों पर पाटन रोधी जांच शुरु की गई थी। दिनांक 27.3.2009 की अधिसूचना सं. 14/6/2008-डीजीएडी के तहत अनंतिम शुल्कों की सिफारिश की गई, जो कि वित्त मंत्रालय द्वारा दिनांक 22 अप्रैल 2009 की अधिसूचना के तहत लगाए गए थे। दिनांक 24 नवंबर 2009 की अधिसूचना सं. 14/6/2008-डीजीएडी के तहत निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश की गई और वित्त मंत्रालय द्वारा दिनांक 20 फरवरी 2010 की अधिसूचना सं. 14/2010-सीमाशुल्क के तहत शुल्क लगाए गए।

4. एक मध्यावधिक समीक्षा जांच की गई और प्राधिकारी ने अपने दिनांक 8 जून 2011 के अन्तिम जांच परिणामों के तहत, जिनके अनुसरण में विचाराधीन उत्पादों के लिए मिल एज के लिए +30 एमएम और ट्रिम एज के लिए 4 एमएम की टोलरेंस निर्धारित की थी। इन स्पष्टीकरणों को स्वीकार कर लिया गया था और वित्त मंत्रालय द्वारा दिनांक 6.9.2011 की सीमाशुल्क अधिसूचना के तहत उन्हें अधिसूचित किया।

5. संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के संबंध में की गई निर्णायक समीक्षा जांच के अनुसरण में वित्त मंत्रालय द्वारा दिनांक 11 दिसंबर 2015 की सीमाशुल्क अधिसूचना सं. 61/2015 के तहत पाटरोधी शुल्कों का विस्तार किया गया ।

6. एक प्रवंचना रोधी जांच की गई और प्राधिकारी ने दिनांक 18 अगस्त 2017 की अधिसूचना सं. 14/1/2014-डीजीएडी के तहत 1250 एमएम से अधिक की चौड़ाई वाले कोल्ड – रोल्ड फ्लैट उत्पादों के आयातों पर पाटनरोधी शुल्कों का विस्तार करने की सिफारिश की गई । वित्त मंत्रालय द्वारा दिनांक 24 अक्तुबर 2017 की अधिसूचना सं. 52/2015-सीमाशुल्क के तहत शुल्क लगाए गए।

7. इसके अलावा चूंकि शुल्कों को भावी तारीख से लगाया गया था इसलिए आवेदकों ने सेस्टेट में याचिका की और पूर्व प्रभाव से शुल्क लगाने का अनुरोध किया । सेस्टेट ने दिनांक 12 सितंबर 2019 के आदेश **सं**. 51204 – 51205/2019 के तहत केवल यह निर्णय करने के लिए मामला वापस भेजा कि क्या शुल्क **को** पूर्व प्रभाव से लगाया जा सकता है। अन्तिम जांच परिणामों की अभी प्रतीक्षा है।

<u>विचाराधीन उत्पाद</u>

8. वर्तमान जांच मौजूदा पाटन रोधी शुल्क की समीक्षा के लिए है। इस प्रकार विचाराधीन उत्पाद के लिए वर्तमान में पाटनरोधी जांच अपेक्षित है, जिसमें वह उत्पाद भी शामिल है जिस पर मूल रुप से पाटन रोधी शुल्क लगाया गया था और वह उत्पाद भी जिस पर प्रवंचना रोधी जांच करके पाटनरोधी शुल्क का विस्तार किया गया था। अत: वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद इस प्रकार है :

"*गैर*-प्रामाणिक उपयोग के लिए *600 एमएम से 1250 एमएम तक की चौड़ाई वाले (मिल एज के लिए +30 एमएम और ट्रिम एज के लिए +4 एमएम की विड्थ टोलरेंस) और 1250 एमएम से अधिक की चौड़ाई वाले स्टेनलेस स्टील के* कोल्ड – रोल्ड *फ्लैट उत्पाद ;* कोल्ड – रोल्ड *(*कोल्ड रिड्यूस्ड*) से आगे काम न की गई सभी सीरिज के; 4 एमएम तक की मोटाई वाले ; जिनमें निम्नलिखित शामिल नहीं हैं :*

क. ग्रेड एआईएसआई 420 हाई कार्बन, 443, 441, ई एन 1.4835, 1.4547, 1.4539, 1.4438, 1.4318, 1.4833, और ई एन 1.4509;

ख. क्रोमियम- निकल मैगनीज- कॉपर ऑस्टेनिटिक स्टेनलेस स्टील के लो निकल वाली वस्तुओं और वाईयू 1 और वाईयू 4 ग्रेड वाले और चीन के ताइपेई (ताइवान) की मैसर्स यिये यूनाइटेड स्टील कॉरप (यूस्को) के संबंध में भारतीय पेटेंट नं. 223848 के तहत आपूरित उत्पाद।"

ग. इसके अलावा विचाराधीन उत्पाद में निम्नलिखित शामिल नहीं है :

i. एक ऐसा आयातक जो बिना स्लीटिंग के उसी रुप में अन्तिम उपयोग के लिए संबद्ध वस्तुओं का आयात करता है; अथवा

ii. इसे 2 अथवा अधिक संबद्ध वस्तुओं में विभाजित करके अर्थात 1250 एमएम से अधिक का आकार (उदाहरण के लिए 2600 एमएम की पीस को 1300 एमएम आकार के दो पीस में विभाजित करके),

बशर्ते कि आयातक ने सीमा शुल्क (शुल्क की रियायती दर पर वस्तुओं का आयात) नियमावली, 2017 में निर्धारित प्रक्रिया *का पालन किया हो।*

<u>उत्पाद नियंत्रण संख्या (पी सी एन)</u>

9. आवेदकों ने एक उत्पाद नियंत्रण संख्या (पी सी एन) का प्रस्ताव किया है। स्टेनलेस स्टील के फ्लेट रोल्ड उत्पादों के आयातों के संबंध में दिनांक 03.07.2019 की अधिसूचना सं. 6/12/2019- डीजीटीआर के तहत शुरु की गई समानान्तर पाटन रोधी जांच में प्राधिकारी ने कतिपय कारकों यथा उत्पाद की टाइप, उत्पाद के ग्रेड, उत्पाद के रुप, उत्पाद की चौड़ाई, उत्पाद की मोटाई और फिनिश के आधार पर एक पीसीएन पद्धति अपनाई है। प्राधिकारी द्वारा इस पर संबद्ध वस्तुओं के संबंध में दी जा रही सब्सिडी रोधी जांच में विचार किया किया गया है। 14.08.2019 की अधिसूचना सं. 6/12/2019- डीजीटीआर के तहत प्रकाशित पीसीएन पद्धति को, जहां तक यह वर्तमान विचाराधीन उत्पाद से संबंधित है, इस जांच में अपनाए जाने का प्रस्ताव किया गया है। इसके अलावा, प्रस्तावित पीसीएन के संबंध में यदि कोई टिप्पणी हो तो उसे इस जांच की शुरुआत की तारीख से 14 दिनों के भीतर दायर किया जाए।

<u>समान वस्तु</u>

10. आवेदकों ने यह दावा किया है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तुएं, संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित सबद्ध वस्तुओं के समान वस्तु है। यह कहा गया है कि आवेदकों द्वारा उत्पादित वस्तुओं और संबद्ध देशों से आयातित उत्पादित वस्तुओं के बीच कोई अन्तर नहीं है। आवेदकों ने यह दावा किया है कि दोनों ही तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं तथा इसलिए नियमावली के अंतर्गत इन्हें "समान वस्तु" माना जाना चाहिए। अत: आवेदकों द्वारा भारत में उत्पादित संबद्ध वस्तुओं को संबद्ध देशों से आयातित की जा रही संबद्ध वस्तुओं के "समान वस्तु" माना जा रहा है।

<u>घरेलू उद्योग और उसकी स्थिति</u>

11. यह आवेदन घरेलू उद्योग की ओर से मैसर्स जिंदल स्टेनलैस लिमिटेड (जे एस एल), मैसर्स जिंदल स्टेनलैस (हिसार) लिमिटेड (जे एस एच एल) और मैसर्स जिंदल स्टेनलैस स्टीलवे लिमिटेड (जे एस एस एल) द्वारा दायर किया गया है। आवेदकों ने यह दावा किया है कि उन्होंने संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं का न तो आयात किया है और न ही वे संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तुओं के किसी निर्यातक अथवा उत्पादक से अथवा भारत में संबद्ध वस्तुओं के किसी आयातक से संबंधित हैं। रिकार्ड में उपलब्ध साक्ष्यों के तहत मैसर्स जिंदल स्टेनलैस लिमिटेड और मैसर्स जिंदल स्टेनलैस (हिसार) लिमिटेड का भारत में समान वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन में एक बड़ा हिस्सा है। इस प्रकार मैसर्स जिंदल स्टेनलैस लिमिटेड और मैसर्स जिंदल स्टेनलैस (हिसार) लिमिटेड पाटन रोधी नियमावली के नियम 2 (ख) के तात्पर्य से पात्र घरेलू उद्योग है और नियमावली के नियम 5 (3) के तहत स्थिति के मापदंड को पूरा करती हैं।

<u>संबद्ध देश</u>

12. वर्तमान निर्णायक समीक्षा जांच में शामिल संबद्ध देशों में चीन जन. गण., कोरिया, यूरोपीय संघ, साउथ अफ्रीका, ताइवान, थाइलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका हैं।

पाटन के जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना का आधार

i. सामान्य मूल्य

चीन के लिए सामान्य मूल्य

13. आवेदकों ने यह दावा किया है कि चीन जन. गण. को एक असहयोगी बाजार अर्थव्यवस्था के रुप में जाना जाना चाहिए और सामान्य मूल्य का निर्धारण नियमावली के अनुलग्नक- I के पैरा- 7 के अनुसार किया जाना चाहिए। आवेदकों ने बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्ययों तथा तर्कसंगत लाभों को जोड़ने के बाद भारत में उत्पादन की लागत पर विचार करके भारत में भुगतान योग्य वास्तविक कीमत के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्धारण किया है और उन पर इस अवस्था में उपयुक्त रूप से विचार किया गया है।

ताइवान, यूरोपीय संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका, कोरिया गणराज्य, थाइलैंड और साउथ अफ्रीका के लिए सामान्य मूल्य

14. आवेदकों ने यह अनुरोध किया है कि संबद्ध देशों के घरेलू बाजारों में संबद्ध वस्तुओं के संबंध में सौदा कीमत अथवा उत्पादकों के कोटेशन अथवा संबद्ध वस्तुओं की संकेतात्मक कीमत की कोई सूचना/ साक्ष्य सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं हैं । तथापि एमईपीएस स्टेनलेस स्टील रिव्यू पब्लिकेशन के अनुसार ताइवान, यूरोपीय संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका और कोरिया गणराज्य के घरेलू बाजारों में प्रचलित कीमतों के साक्ष्य उपलब्ध हैं , रिपोर्ट में फ्लेट और लम्बे उत्पादों के लिए घरेलू स्टील की कीमत के डाटा की सूचना दी गई है और तदनुसार दावा किया गया है। थाइलैंड और साउथ अफ्रीका के लिए सामान्य मूल्य का दावा इन देशों में उत्पादन की लागत के अनुमानों के आधार पर किया गया है। जांच शुरु करने के प्रयोजन से प्राधिकारी ने बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्ययों तथा तर्कसंगत लाभों को विधिवत समायोजन करने के बाद संबद्ध देशों में उत्पादन की लागत के आधार पर भी संबद्ध देशों के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण किया है।

ii. निर्यात कीमत

15. आवेदकों ने निवल निर्यात कीमत निकालने के लिए वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय के सौदा वार आयात संबंधी आंकड़ों के आधार पर निर्यात कीमत का निर्धारण किया है । समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, कमीशन, पत्तन व्यय, बैंक प्रभार और गैर वापसी योग्य वेट (चीन के लिए) के संबंध में कीमत समायोजन किए हैं ।

iii. पाटन मार्जिन

16. सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत के अनुमानों पर विचार करके विचाराधीन उत्पाद के लिए पाटन मार्जिन का निर्धारण किया गया है। चीन जन. गण., ताइवान, यूरोपीय संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका और साउथ अफ्रीका के लिए परिणामी पाटन मार्जिन सकारात्मक और महत्वपूर्ण है जबकि यह थाइलैंड और कोरिया के लिए नकारात्मक है। आवेदकों के दावे पर इन देशों से पाटन की पुनरावृत्ति होने की संभावना के लिए विचार किया गया है। आवेदकों द्वारा प्रदान की गई सूचना प्रथम दृष्टया यह दर्शाती है कि शुल्कों को समाप्त किए जाने से संबद्ध देशों से पाटन के जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है ।

क्षति के जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना

17. संबद्ध वस्तुओं पर प्रवंचना रोधी जांच के बाद आयातों की मात्रा में कमी आई है। तथापि मात्रा में क्षति अवधि के बाद पुन: वृद्धि हुई है। आवेदकों द्वारा यह दावा किया गया है कि घरेलू उद्योग, पाटन की विगत समस्या से उबर रहा है और उसके निष्पादन में वर्ष 2017-18 में सुधार आया है लेकिन वर्ष 2018-19 में गिरावट आई है। जाचं की अवधि में पुन: निष्पाद में सुधार आया है । तथापि लाभ और आरओआई का स्तर तर्कसंगत स्तर से कम रहा है। घरेलू उद्योग को अभी भी क्षति की आशंका बनी हुई है। आवेदकों ने मौजूदा सरप्लस क्षमताओं, क्षमता विस्तार, निर्यात अभिमुखीकरण, क्षमता उपयोग, संबद्ध निर्यातकों की क्षमता के उपयोग, मांग में गिरावट, अन्य देशों द्वारा व्यापार उपचारी उपायों इत्यादि के संबंध में सूचना प्रदान की है, जो क्षति के जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना को प्रमाणित करने वाले कारक हैं। आवेदकों द्वारा प्रदान की गई सूचना प्रथम दृष्टया यह दर्शाती है कि पाटन रोधी शुल्क समाप्त होने के मामले में पाटन और क्षति की संभावना है।

निर्णायक समीक्षा जांच की शुरुआत

18. घरेलू उद्योग द्वारा अपनी ओर से विधिवत रूप से साक्ष्यांकित लिखित आवेदन के आधार पर और घरेलू उद्योग को पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना के बारे में घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर स्वयं को संतुष्ट करने के बाद और नियमावली के नियम 23 (1बी) के साथ पठित अधिनियम

की धारा 9 क (5) के अनुसार प्राधिकारी एतद्वारा संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के संबंध में लागू शुल्कों के जारी रहने की जरुरत की समीक्षा करने के लिए तथा यह जांच करने के लिए कि क्या मौजूदा पाटनरोधी शुल्कों के समाप्त होने से घरेलू उद्योग को पाटन और क्षति जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है, एक निर्णायक समीक्षा जांच शुरू करते है।

जांच की अवधि (पी ओ आई)

19. वर्तमान जांच में जांच अवधि (पीओआई) अप्रेल, 2019 से मार्च, 2020 तक की है और क्षति जांच की अवधि में 2016 – 2017, 2017 – 2018, 2018 – 2019 और जांच की अवधि शामिल होंगी । प्राधिकरण 6 महीने के याचिकाकर्ता और अन्य इच्छुक पार्टियों के पोस्ट पीओआई डेटा की भी जांच करेगा कि क्या मौजूदा पाटन रोधी शुल्क कर्तव्यों की समाप्ति घरेलू उद्योग को डंपिंग और चोट की निरंतरता या पुनरावृत्ति की संभावना है या नहीं।

प्रक्रिया

20. समीक्षा जांच में दिनांक 12 अक्तुबर 2015 की अधिसूचना सं. 15/04/2014- डीजीएडी के तहत प्रकाशित अन्तिम जांच परिणामों के सभी पहलुओं को शामिल किया जाएगा जिसमें संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर पाटन रोधी शुल्कों का विस्तार करने की सिफारिश की गई है। प्राधिकारी अपेक्षानुसार पाटन और क्षति की संभावना का विश्लेषण भी करेंगे।

21. उपरोक्त नियमावली के नियम 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19, और 20 के प्रावधानों को इस समीक्षा में यथोचित परिवर्तनों के बाद लागू किया जाएगा ।

सूचना प्रस्तुत करना

22. कोविड-19 महामारी से उत्पन्न विशेष परिस्थितियों के मद्देजर निर्दिष्ट प्राधिकारी को समस्त पत्राचार ई-मेल पतों adg11-dgtr@gov.in, adv12-dgtr@gov.in, dd16-dgtr@gov.in तथा ac11-dgtr@gov.in पर ई-मेल के माध्यम से भेजे जाने चाहिएं ।

23. संबद्ध देशों में ज्ञात उत्पादकों/ निर्यातकों, भारत में उनके दूतावास के जरिए उनकी संबंधित सरकारों, भारत में संबद्ध वस्तु से संबंधित समझे जाने वाले आयातकों और प्रयोक्ताओं तथा घरेलू उद्योग को नीचे निर्धारित की गई समय सीमा के भीतर विहित प्रपत्र में एवं ढंग से समस्त संगत सूचना प्रस्तुत करने के लिए अलग से सूचित किया जा रहा है ।

24. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी नीचे दी गई समय सीमा के भीतर, विहित प्रपत्र में और निर्धारित ढंग से इस जांच से संगत अपने अनुरोध प्रस्तुत कर सकता है ।

25. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार को अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराए जाने के लिए उसका एक अगोपनीय अंश प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

समय-सीमा

26. कोविड-19 महामारी से उत्पन्न विशेष परिस्थितियों के मद्देजर वर्तमान जांच से संबंधित कोई सूचना नियमावली के नियम 6 (4) के तहत सूचना प्राप्त होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर ईमेल पतों अर्थात adg11-dgtr@gov.in, adv12-dgtr@gov.in, dd16-dgtr@gov.in तथा ac11-dgtr@gov.in पर ई-मेल के माध्यम से निर्दिष्ट प्राधिकारी को भेजी जानी चाहिए। तथापि, यह नोट किया जाए कि इस नियमावली के स्पष्टीकरण के संदर्भ में सूचना की मांग करने वाले नोटिस और अन्य दस्तावेजों को, निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा भेजे जाने अथवा निर्यातक देश के उपयुक्त डिप्लोमेटिक प्रतिनिधि को भेजे जाने की तारीख से एक सप्ताह के भीतर प्राप्त किया गया माना जाएगा। यदि विहित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अधूरी होती है तो प्राधिकारी नियमावली के अनुसार रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

27. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना देने और उपर्युक्त समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने की सलाह दी जाती है ।

गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

28. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने या गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार को नियमावली के नियम 7 (2) और इस संबंध में जारी व्यापार सूचनाओं के अनुसार उसका अगोपनीय अंश भी साथ में प्रस्तुत करना अपेक्षित है। उपर्युक्त का पालन न करने पर उत्तर/ अनुरोध को अस्वीकृत किया जा सकता है ।

29. प्रश्नावली के उत्तर सहित प्राधिकारी के समक्ष कोई अनुरोध (इसके साथ संलग्न परिशिष्ट/ अनुबंध सहित) प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों के लिए गोपनीय और अगोपनीय अंश अलग-अलग प्रस्तुत करना अपेक्षित है ।

30. "गोपनीय" या "अगोपनीय" अनुरोधों पर स्पष्ट रूप से प्रत्येक पृष्ठ पर "गोपनीय" या "अगोपनीय" अंकित होना चाहिए। ऐसे अंकन के बिना प्रस्तुत सूचना को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोध का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे।

31. गोपनीय पाठ में ऐसी समस्त सूचना होगी जो स्वाभाविक रूप से गोपनीय है और अथवा ऐसी अन्य सूचना जिसके ऐसी सूचना के प्रदाता द्वारा गोपनीय होने का दावा किया गया है। स्वाभाविक रूप से गोपनीय होने का दावा की गई सूचना या अन्य कारणों से गोपनीयता का दावा की गई सूचना के संबंध में सूचना प्रदाता को प्रदत्त सूचना के साथ ऐसे कारणों का विवरण प्रस्तुत करना होगा कि उस सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है।

32. अगोपनीय रूपांतरण को उस सूचना जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानत: सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई (यदि सूचीबद्ध करना व्यवहार्य न हो) और सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है। अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना की विषय वस्तु को तर्कसंगत ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नही है और प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार इस आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांशीकरण क्यों सभव नहीं है।

33. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य रूप में अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।

34. सार्थक अगोपनीय रूपांतरण के बिना या गोपनीयता के दावे के बारे में यथोचित कारण के विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा।

35. प्रदत्त सूचना की गोपनीयता की जरूरत से संतुष्ट होने और उसे स्वीकार कर लेने के बाद प्राधिकारी ऐसी सूचना के प्रदाता पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे।

सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

36. नियमावली के नियम 6 (7) के अनुसार कोई हितबद्ध पक्षकार उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है जिसमें अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय रूपांतरण रखे गए हैं। इलैक्ट्रॉनिक रूप में सार्वजनिक फाइल को रखे जाने के तौर तरीके तैयार किए जा रहे हैं ।

असहयोग

37. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं और केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

बी. बी. स्वैन, विशेष सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 30th September, 2020

Case No.-AD-SSR 08/2020

Subject : Initiation of Sunset Review investigation concerning imports of Cold-Rolled Flat Products of Stainless Steel of width 600 mm to 1250 mm and above 1250mm of non bonafide usage originating in and exported from China PR, Korea, European Union, South Africa, Taiwan, Thailand and USA

F. No. 7/18/2020-DGTR.—M/s. Jindal Stainless Limited, M/s Jindal Stainless (Hisar) Limited and M/s Jindal Stainless Steelway Ltd. (hereinafter referred to as the "applicants") have filed an application before the Designated Authority (hereinafter also referred to as the "Authority"), on behalf of the domestic industry, in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter also referred to as the "Act") and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter referred as the Rules), for Sunset Review of Anti-Dumping duty imposed on imports of "Cold-Rolled Flat Products of Stainless Steel of width 600 mm to 1250 mm and above 1250mm of non bonafide usage" (hereinafter also referred as the "subject goods" or "product under consideration" or "PUC") from China PR, Korea, European Union, South Africa, Taiwan, Thailand and USA (hereinafter also referred to as the "subject countries").

2. The Applicants have alleged likelihood of continuation or recurrence of dumping of subject goods, originating and exported from the subject countries and consequent injury to the domestic industry and has requested for review and continuation of the anti-dumping duty imposed on the imports of subject goods, originating in or exported from the subject countries.

Background

3. Antidumping investigation was initiated on imports of Cold Rolled Flat Product of Stainless Steel of width 600 mm to 1250 mm *vide* Notification dated 25/11/2008. Provisional duties were recommended *vide* Notification No. 14/6/2008-DGAD dated 27th March, 2009 which were imposed by the Ministry of Finance *vide* Notification dated 22nd April, 2009. Definitive anti-dumping duties were recommended *vide* Notification No. 14/6/2008-DGAD dated 24th November 2009 and Ministry of Finance imposed the duties *vide* Notifications No. 14/2010-Customs, dated 20th February, 2010.

4. A Mid term review investigation was conducted and the Authority vide its final findings dated 8th June 2011, pursuant to which tolerances of +30mm for mill edge and 4 mm for trim edge was specified for the product under consideration. These clarifications were accepted and notified by Ministry of Finance vide Customs Notification No. 86/2011 dated 6.9.2011.

5. Pursuant to sunset review investigation conducted on the subject goods from subject countries, anti-dumping duties were extended by Ministry of Finance vide Custom Notification 61/2015 dated 11th December, 2015.

6. An anti-circumvention investigation was conducted and the Authority recommended extension of anti-dumping duties on imports of Cold Rolled Flat products of width more than 1250 mm vide Notification No 14/1/2014-DGAD dated 18th August, 2017. The duty was implemented by the Ministry of Finance vide Notification No 52/2017-Customs (ADD) dated 24th October, 2017.

7. Further, since the duties were imposed prospectively, the applicants approached the CESTAT and requested for imposition of duty retrospectively. CESTAT, vide order no order No. 51204-51205/2019 dated 12th September, 2019 remanded back the matter only for the purpose of deciding whether the duty can be imposed retrospectively. The final findings are awaited.

Product under Consideration

8. Present investigation is for review of existing ADD. Thus, product under consideration is the product as is attracting ADD at present, including the product on which ADD was originally imposed and the product on which ADD was extended through anti-circumvention investigation. Therefore, the product under consideration in the present investigation is as follows:

"Cold-rolled Flat products of stainless steel of width 600 mm to 1250 mm (width tolerance of +30 mm for Mill Edged and +4mm for Trimmed Edged) and of width above 1250 mm for non bonafide uses; of all series not further worked than Cold rolled (cold reduced); with a thickness of up to 4mm; excluding the following:

a. Grades AISI 420 high carbon, 443, 441, EN 1.4835, 1.4547, 1.4539, 1.4438, 1.4318, 1.4833 and EN 1.4509;

b. Product supplied under Indian Patent No. 223848 in respect of goods comprising Low Nickel containing Chromium-Nickel Manganese-Copper Austenitic Stainless steel and representing Grades YU 1 and YU 4, produced and supplied by M/s Yieh United Steel Corp (Yusco) of Chinese Taipei (Taiwan)."

c. Further, the product under consideration excludes the following:

i. an importer who imports the subject goods for end use in the same form without slitting; or

ii. slitted it into 2 or more subject goods i.e. sizes above 1250 mm (for example a 2600 mm piece slitted into two 1300 mm size pieces),

Provided that the importer followed the procedure set out in the Customs (Import of Goods at Concessional Rate of Duty) Rules, 2017

Product control numbers (PCN)

9. Applicants have proposed a product control number (PCN). In parallel anti-dumping investigation concerning imports of Flat Rolled Products of Stainless Steel initiated vide Notification 6/12/2019-DGTR dated 03.07.2019, the Authority has adopted a PCN Methodology based on certain factors viz. product type, grade of the product, form of the product, width of the product, thickness and finish of the product. The same has been considered by the Authority in the anti-subsidy being undertaken on the subject goods. The PCN methodology as published vide notification 6/12/2019-DGTR dated 14/08/2019 is proposed to be adopted in this investigation to the extent it concerns with the present product under consideration. Further, any comments with regard to the proposed PCN may be filed within 14 days from the date of initiation of this investigation.

Like Article

10. The applicants have claimed that the goods produced by the domestic industry are like article to the subject goods originating in or exported from the subject countries. It has been stated that there is no significant difference in the subject goods produced by the applicants and those exported from subject countries. The applicants claim that the two are technically and commercially substitutable and hence should be treated as 'like article' under the Rules. Therefore, the subject goods produced by the Applicants in India are being treated as 'Like Article' to the subject goods being imported from the subject countries.

Domestic Industry & Standing

11. The application has been filed by M/s Jindal Stainless Limited (JSL), M/s Jindal Stainless (Hisar) Limited (JSHL) and Jindal Stainless Steelway Limited (JSSL) on behalf of the domestic industry. The applicants have claimed that they have neither imported the subject goods from the subject countries nor are they related to any exporter or producer of the subject goods in the subject countries or to an importer of the subject goods in India. As per the evidence available on record, the production of Ms Jindal Stainless Limited and M/s Jindal Stainless (Hisar) Limited accounts for a major proportion in the total domestic production of the like article. Ms Jindal Stainless Limited and M/s Jindal Stainless

(Hisar) Limited thus constitute eligible domestic industry within the meaning of Rule 2 (b) of the Anti-dumping Rules and satisfy the criteria of standing in terms of Rule 5 (3) of the Rules.

Subject Countries

12. The subject countries involved in the present sunset review investigation are China PR, Korea, European Union, South Africa, Taiwan, Thailand and USA.

Basis of likelihood of continuation or recurrence of dumping

i. Normal Value

Normal Value for China

13. The Applicants have claimed that China PR should be treated as a non-market economy and the normal value should be determined in terms of paragraph-7 of Annexure I of the Rules. The applicants have claimed normal value for China on the basis of the price actually payable in India by considering cost of production in India, after addition for selling, general & administrative expenses and reasonable profits and the same have been considered appropriate at this stage.

Normal value for Normal Value- Taiwan, EU, USA, Korea PR, Thailand and South Africa

14. Applicants have submitted that there are no publicly available information/evidence of transaction price or quotations of producers or indicative price of subject goods in the domestic market of subject countries. However, evidence of prices prevailing in domestic market of Taiwan, EU, USA and Korea PR is available as per the MEPS Stainless Steel Review publication which reports domestic steel pricing data for flat and long products and have been claimed accordingly. For Thailand and South Africa normal value has been claimed based on estimates of cost of production in these countries. The Authority, for the purpose of initiation has determined the normal value for all the subject countries on the basis of cost of production in the subject countries by considering cost of production in India duly adjusted for selling, general & administrative expenses and reasonable profits.

ii. Export Price

15. The Applicants have determined export prices on the basis of DGCI&S transaction wise import data. Price adjustments have been allowed on account of ocean freight, marine insurance, commission, inland freight expenses, port expenses, bank charges and non-refundable VAT (for China) to arrive at the net export price.

iii. Dumping Margin

16. Considering the estimates of normal value and export price, dumping margin has been determined for the product under consideration. The resultant dumping margin for China PR, Taiwan, EU, USA and South Africa are positive and significant, while the same are negative for Thailand and Korea. The applicants claim has been considered for likelihood of recurrence of dumping from these countries. The information submitted by the applicants, prima-facie, shows likelihood of continuation or recurrence of dumping from the subject countries in the event of cessation of duties

Likelihood of continuation or recurrence of Injury

17. The volume of imports declined after anti-circumvention investigation on subject goods. However, the volume has increased again over the injury period. It has been claimed by the Applicants that the domestic industry is recovering from past ill effects of dumping and its performance improved in 2017-18, but deteriorated in 2018-19. Performance has improved again in the POI. However , the level of profits and ROI continues to remain below reasonable level. The domestic industry still remains vulnerable to injury. Applicants have provided information with regard to existing surplus capacities, capacity expansion, export orientation, capacity utilisation with the subject exporters, decline in demand, trade remedial measures by other countries etc as factors establishing likelihood of continuation or recurrence of injury. The information provided by the applicants, prima facie, shows likelihood of dumping and injury to domestic industry in case of cessation of the ADD.

Initiation of Sunset Review Investigation

18. On the basis of the duly substantiated application by or on behalf of the domestic industry, and having satisfied itself, on the basis of the prima facie evidence submitted by the domestic industry, about the

likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry, in accordance with Section 9 A (5) of the Act, read with Rule 23(1B) of the Rules, the Authority, hereby, initiates a Sunset review investigation to review the need for continued imposition of the duties in force in respect of the subject goods, originating in or exported from the subject countries and to examine whether the expiry of existing ADD duties are likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the Domestic Industry.

Period of Investigation

19. The period of investigation (POI) for the present investigation is April 2019-March 2020 and the injury investigation period will cover the periods 2016–2017, 2017-2018, 2018-19 and the POI. The authority would also examine the post POI data of 6 months of the petitioner and other interested parties to examine whether the expiry of existing ADD duties are likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the Domestic Industry.

Procedure

20. The review investigation will cover all aspects of the final findings published vide Notification No. 15/04/2014-DGAD dated 12th October, 2015 recommending extension of anti-dumping duty on imports of subject goods from subject countries. The Authority will also undertake likelihood analysis of dumping and injury as required.

21. The provisions of Rules 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19 and 20 of the Rules supra shall be mutatis mutandis applicable in this review.

Submission of Information

22. In view of the special circumstances arising out of COVID-19 pandemic, all communication should be sent to the Designated Authority via email at the email addresses adg11-dgtr@gov.in, adv12-dgtr@gov.in, dd16-dgtr@gov.in, and ac11-dgtr@gov.in .

23. The known producers/exporters in the subject countries, their governments through their embassies in India, the importers and users in India known to be connected with the subject goods and the domestic industry are being informed separately to enable them to file all the relevant information in the form and manner prescribed within the time limit set below.

24. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within in the time limit set out below.

25. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to other interested parties.

Time Limit

26. In view of the special circumstances arising out of COVID-19 pandemic, any information relating to the present investigation should be sent to the Designated Authority via email at the email addresses adg11-dgtr@gov.in, adv12-dgtr@gov.in, dd16-dgtr@gov.in, and ac11-dgtr@gov.in within 30 days from the date of the receipt of the notice as per rue 6 (4) of the Anti dumping Rules. It may, however be noted that in terms of explanation of the said Rule, the notice calling for information and other documents shall be deemed to be have been received within one week from the date on which it was sent by the Designated Authority or transmitted to the appropriate diplomatic representative of the exporting countries. if no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the authority may record its finding on the basis of the facts available on records in accordance with the Rules.

27. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire response within the above time limit.

Submission of information on confidential basis

28. Any party making any confidential submission or providing information on confidential basis before the Authority, is required to simultaneously submit a non-confidential version of the same in terms of Rule 7(2) of the Rules and the Trade Notices issued in this regard. Failure to adhere to the above may lead to rejection of the response/submissions.

29. The parties making any submission (including Appendices/Annexures attached thereto), before the Authority including questionnaire response, are required to file Confidential and Non-Confidential versions separately.

30. The "Confidential" or "Non-confidential" submissions must be clearly marked as "Confidential" or "Non-confidential" at the top of each page. Any submission made without such marking shall be treated as non-confidential by the Authority, and the Authority shall be a liberty to allow the other interested parties to inspect such submissions.

31. The confidential version shall contain all information which is by nature confidential and/or other information which the supplier of such information claims as confidential. For information which are claimed to be confidential by nature or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed.

32. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (in case indexation is not feasible) and summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons why summarization is not possible must be provided to the satisfaction of the Authority.

33. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.

34. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without good cause statement on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.

35. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided, shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

Inspection of Public File

36. In terms of Rule 6(7) of the Rules, any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidence submitted by other interested parties. The modality of maintaining public file in electronic mode is being worked out.

Non-cooperation

37. In case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

B. B. SWAIN, Spl. Secy. & Designated Authority

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2020.09.30 23:08:28 +05'30'